31-8-2022

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री संजय महाजन (अग्रवाल) पुत्र श्री मोहन लाल महाजन निवासी–जी–1/4 रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया नीमकाथाना सीकर मैसर्स–कार्तिक ऑयल मील जी–1/4 रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया नीमकाथाना सीकर, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 31.03.2020 को समय 06:10 पी.एम. पर नीमकाथाना–सीकर में निरीक्षण के लिए मैसर्स–कार्तिक ऑयल मील जी–1/4 रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया नीमकाथाना सीकर पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे मैसर्स–कार्तिक ऑयल मील, में अप्रार्थी श्री संजय महाजन(अग्रवाल), पैक रायस ब्रान तेल का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। श्री संजय महाजन(अग्रवाल) से वर्ष 2020 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2020 होना बताया व दिखाया।

फर्म पर श्री संजय महाजन(अग्रवाल) द्वारा रायस ब्रान तेल का विक्रय किया जा रहा था। मैसर्स पर उपलब्ध स्टोक रायस ब्रान तेल में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच, रायस ब्रान तेल 1600 एम.एल. खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री संजय महाजन (अग्रवाल) को 128रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अवमानक** रायस

(अनिल कुमार)
... जिला कलक्टर
... जिला ...
...थाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(2)

ब्रान तेल पाया गया। अप्राथी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्राथी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्राथी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्राथी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1903 खाद्य पदार्थ रायस ब्रान तेल का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अवमानक रायस ब्रान तेल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्राथी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अप्राथी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नही हो जाती है।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण के 51,000 रु का जुर्मना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्मना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावें। जुर्मना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

(अखिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली अप्रार्थी द्वारा जुर्माना राशि जरिये चालान जमा करवाकर चालान कि एक प्रति पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। अप्रार्थी द्वारा जुर्माना [illegible] चालान कि एक प्रति पेश [illegible] की गई। पत्रावली दाखिल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:28 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner